FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाखेरी

शंकर बनाम कमलेश वगैरह

किस्म मुकदमा 53, 88, 89, 188 BNA नं. 42/बना/21 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही.मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/6/21	सरिस्ते की रिपोर्ट होकर वाद पत्र पेश हुआ वकील वादी उपस्थित, वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब कर पत्रावली 5-8-21 को पेश हो।	
5-8-21	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 21-10-21 को पेश हो। PO 86 का स्थानान्तरण होने से	
	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 16-12-21 को पेश हो। श्री कालूलाल चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया	13,14,15 की ओर से शंकर लाल
2-12-21.	प्रार्थी वादी स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र कर निवेदन किया गया कि वादी व प्रतिवादी के मध्य राजीनामा हो गया है वाद को आगे चलाना नहीं चाहते है पत्रावली में आगामी पेशी 16-12-21 नियत है तलबकर खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी वादी के प्रा०पत्र पर पत्रावली तलब की गई। प्रार्थी वादी ने प्रार्थना पत्र को नोट प्रेस किये जाने के हस्ताक्षर पत्रावली पर किये गये। अतः वादी का वाद पत्र नोट प्रेस खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	

Scanned with CamScanner